न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 5 / 2020 GCMS NO 2020 / 00046

दायरा तिथि : 22.06.2020

आदेश तिथि : 13–8–2021

प्रार्थीगण :–

1. मदनसिंह पुत्र भूरसिंहजी
2. मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंहजी
3. पुष्करसिंह पुत्र भूरसिंहजी
4. सम्पतसिंह पुत्र भूरसिंहजी
5. अंसाबाई पत्नि भूरसिंहजी जाति पुरोहित
   निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. प्रतापसिंह जगदीशसिंह रतनसिंह पिसरान् प्रभूसिंहजी
   भंवरीकंवर ताराकंवर ललीताकंवर पुत्रिया प्रभूसिंहजी जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव
2. किशोरसिंह पुत्र चिमनसिंहजी जाति पुरोहित
   निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 13–8–2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 189 रकबा 1.39 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से मौके पर विद्यमान अप्रार्थीगण प्रतापसिंह जगदीशसिंह रतनसिंह पिसरान् प्रभूसिंहजी, भंवरीकंवर ताराकंवर ललीताकंवर पुत्रिया प्रभूसिंहजी जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव एवं किशोरसिंह पुत्र चिमनसिंहजी जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली वगैरा की खातेदारी भूमि मौजा शिवतलाव के खसरा नंबर 184 / 1387 हैक्टर मेंसे 0.05 हैक्टर खसरा नंबर 187 रकबा 0.08 हैक्टर मेंसे 0.01 हैक्टर एवं खसरा नंबर 188 रकबा 0.33 हैक्टर मेंसे 0.02 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम व चाही प्रथम जाव प्रथम व राडा मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से 04 मीटर चौडा रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 2020 / 1265 दिनांक 07.07.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 189 रकबा 1.39 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम की भूमि श्री मदनसिंह, मनोहरसिंह, पुष्करसिंह, सम्पतसिंह पिसरान् भूरसिंह, अंसाबाई पत्नि भूरसिंह जातगण राजपुरोहित निवासीगण शिवतलाव तहसील बाली के खातेदारी में दर्ज हैं।आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प का रास्ता नही हैं। तथा वर्तमान में भी प्रार्थी आना जाना व कृषि कार्य करते आ रहे हैं। वर्तमान मे मौके पर रास्ता चालू हैं। तथा रास्ते में सीमेन्ट के खम्भो में तारबन्दी की हुई हैं। प्रस्तावित रास्ते के पास मे लगता हुआ ही खसरा नंबर 185 वाराही माताजी का समस्त परिवार का सामूहिक एक गै.मु. मंदिर स्थित हैं। जिसमें पू व दर्शनार्थ आने जाने वाले व्यक्तियो द्वारा भी इसी रास्ते का उपयोग होता हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	184 / 1387 187	0.62 0.08	चाही,जाही गैमु. सडा	118 X 4 = 472 वर्गमीटर 21X 4 = 84 वर्गमीटर	जगदीशसिंह, प्रतापसिंह, रतनसिंह पिसरान् प्रभुसिंह वगैरा जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव
2	188	0.33	चाही,जाही	52X 4 = 208 वर्गमीटर	किशोरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5/2020 GCMS NO 2020/00046
अनवान मदनसिंह वगैरा बनाम प्रतापसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम शिवतलाव की डी.एल.सी.दर 33570/– रूपये प्रति बीघा है।
4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं है, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल मेसे अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण न्यायालय मे नियत पेशीयो पर आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात जाहिर है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में मौके पर आवेदित रास्ता उपलब्ध है, परन्तु कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि शिवतलाव के खसरा नंबर 184/1387 हैक्टर मेंसे 0.05 हैक्टर खसरा नंबर 187 रकबा 0.08 हैक्टर मेंसे 0.01 हैक्टर एवं खसरा नंबर 188 रकबा 0.33 हैक्टर मेंसे 0.02 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम व चाही प्रथम जाव प्रथम व सडा मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से 04 मीटर चौडा रेकर्डेड रास्ता चाहा गया है। जिस पर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक .मुण्डारा द्वारा पत्रांकः राजस्व/2020/1265 दिनांक 07.07.2020 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 189 रकबा 1.39 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर **184/1387, 187 व 188 मेंसे कुल** 764 **वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 33570/– प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
184/1387 187	0.62 0.08	118 X 4 = 472 व.मी. 21X 4 = 84 व.मी.	20.98	9904 X2=19808 1762X2= 3525	जगदीशसिंह, प्रतापसिंह, रतनसिंह पिसरान् प्रभुसिंह वगैरा जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव
188	0.33	52 X 4 = 208 वर्गमीटर	20.98	4364X2= 8728	किशोरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति पुरोहित निवासी शिवतलाव
	योग	**764 वर्गमीटर**		32061/–रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **32061/– (अक्षरे बत्तीस हजार इकसठ)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा मे आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अ...)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner